

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में ज.घ की गई। जिसके अनुसार

खेडन की लणी
खेडन की लणी, पत्नार हल्का खेडन की लणी
राजस्व ग्राम ढाणी खेडन की लणी के खाता क्र 76 में प्रार्थी अंकित
कुं शर्मा, अमित कुं शर्मा, आरती शर्मा, लरोज की जाति नार राजस्व
हकी है, जलान दत्तावेजी के आधार उपरोक्त प्रार्थियों की

जाति ब्राह्मण कायलिस तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौडजी
सोमेश्वर शर्मा को जाति नार हो गयी जो शिवम शर्मा के नाम पर 2019-20 में
जाति ब्राह्मण की जाति नार हो गयी जो नारायण शर्मा के नाम पर 2019-20 में
मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक
का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / नहीं
की जाती है।
25/10/21
पटवारी लि. 55
25-10-21
DR

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)
:- आदेश :- दिनांक :- 25/10/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है।)
1	ढाणी खेडन	207578	76	अंकित कुं शर्मा, अमित कुं शर्मा, आरती शर्मा, लरोज जाति नार	अंकित शर्मा, आरती शर्मा, अमित शर्मा, लरोज जाति ब्राह्मण

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
दिनांक :- 25/10/2021

क्रमांक :- राजस्व/2020/348-349
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी